संख्याः 1809/एक-10-2022-33(11)/2021

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये रू0 17,50,00,000/- (रू0 सतरह करोड़ पचास लाख) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-3 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि रू० लाख में
1	2	3
1	चंदौली	100.00
2	चित्रकूट	100.00
3	गाजीपुर	500.00
4	हमीरपुर	100.00
5	जालौन	100.00
6	कानपुर देहात	100.00
7	कानपुर नगर	100.00
8	कौशाम्बी	50.00
9	मिर्जापुर	500.00

10	वाराणसी	100.00
योग		1750.00
(रू0 सतरह करोड़ पचास लाख मात्र)		

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान ऑनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तंर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र' वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय 17,50,00,000/– (रू0 सतरह करोड़ पचास लाख) चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ मद–02 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1809(1)/एक–10–2022–33(11)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

out:blank

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-18/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1809
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1809
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
2	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 19600000	10000000 19600000
3	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 18400000	10000000 18400000
4	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 36600000	10000000 36600000
5	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 52400000	50000000 52400000
6	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 98475000	50000000 98475000
7	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 15000000	10000000 15000000
8	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
9	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
10	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 12400000	10000000 12400000
	योग	वर्तमान प्रगामी	175000000 277875000	175000000 277875000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार

18/9/2022

(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।